राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी एवं पद का का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3315/2024 राजेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यापक ग्रेड तृतीय	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सीकर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर। 6. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानूडा ब्लॉक दातारामगढ, जिला सीकर।	13.11.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	3316/2024 बजरंग लाल बधाला, वरिष्ठ अध्यापक	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सीकर। 6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर। 7. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जीणवास ब्लॉक पलसाना, जिला सीकर।		

आदेश की दिनांक : 13.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3315/2024 राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानूडा, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1998 में भर्ती विज्ञापन जारी कर जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और उक्त भर्ती में अपीलार्थी का मुख्य वरियता सूची में चयन हुआ लेकिन भर्ती का मामला माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1190/2000 लंबित होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई और अन्य चयनित अभ्यर्थियों को अपीलार्थी से पहले ही नियुक्ति दे दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका दिनांक 29.03.2001 को निस्तारण होने पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का पात्र माना गया और आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 20.04.2001 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति दी और उसने कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 24.06.2004 के द्वारा अपीलार्थी का परिवीक्षा काल संतोषप्रद होने पर स्थायीकरण किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को देरी से नियुक्ति दी गई। नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04.2001 में स्पष्ट उल्लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों को काल्पनिक लाभ दिया जायेगा, परंतु उसके बावजूद अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा काल्पनिक लाभ सहित वरिष्ठता आदि के लाभ से वंचित रखा गया। जबकि नियुक्ति आदेश के आधार पर अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। वर्तमान मामले के समान वाले प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमन बाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2009 (1) डब्ल्यूएलसी (राज) 381 में काल्पनिक लाभ सहित समस्त सेवा लाभ का हकदार माना है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ पाने का अधिकारी है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 1999 से वरिष्ठता एवं काल्पनिक लाभ सहित समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश

प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानूडा, जिला सीकर में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमन बाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2009 (1) डब्ल्यूएलसी (राज) 381 में जारी किये गये न्यायिक दृष्टान्त एवं नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04.2001 को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3315/2024 राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3316/2024 बजरंग लाल बधाला में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य